जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर

ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डर (निविदा सूचना)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग/पन्द्रहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत हॉटमिक्स प्लान्ट/लेपन कार्यों को कराये जाने हेतु जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर को इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड मथुरा रिफाइनरी से जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर कार्यालय परिसर तक पैक्ड बिटुमिन ड्रम (Packed Bitumen Drum/bulk) की ढुलाई की जानी है। पैक्ड बिटमिन ड्रम (Packed Bitumen Drum/bulk) की आपूर्ति प्राप्त कर ढुलाई कार्य के लिये पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों से बिटुमिन की ढुलाई हेतु ई–निविदा http://etender.up.nic.in पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा एवं शर्तें दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 09 बजे से दिनांक 31.03.2021 को अपरान्ह 03:00 बजे तक http://etender.up.nic.in की वेबसाइट से डाउनलोड व अपलोड किये जा सकते हैं, जिसे दिनांक 31.03.2021 को निर्धारित टेण्डर समिति के द्वारा सभागार जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष 04:00 बजे से खोला जायेगा। शासनादेश सं0–1791/33–2–2020–198जी/2018, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 में निर्दिष्ट दिशा–निर्देश के क्रम में निविदा शुल्क तथा 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि (EMD) को इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS से जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के जिलानिधि खाता सं0–3178010000771 में निविदा शुल्क की धनराशि एवं खाता सं0–3178010000772 में जमानत धनराशि जमा की जायेगी तथा इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS का प्राप्त ट्रान्जेक्शन नम्बर की स्कैन प्रतियां निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जायेगी एवं मूल प्रतियां निविदा खोलने की तिथि दिनांक 31.03.2021 को 04:00 बजे तक अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। अन्य जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	निविदा शुल्क जी0एस0टी0 सहित (रू0में)	2%जमानत धनराशि (रू0में)	ढुलाई प्रति टन जी0एस0 टी0 छोड़कर (रू0में)
1	2	3	4	5
मथुरा से कार्यालय जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर तक मैक्साफाल्ट (Bitumen) की ढुलाई कार्य।	Packed Bitumen Drum/bulk	2360.00	27000.00	2580.14

Conditions of Works:-

1. कोई भी निविदादाता जो राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो तथा जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारी के रिश्तेदार (फर्स्ट ब्लड रिलेशन) निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते।
2. निविदा डालने हेतु निविदादाता को http://etender.up.nic.in वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफाइड प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट (D.S.C.) होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं है।
3. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी ई–पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिए जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
4. उपरोक्त दर पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।
5. शासनादेश सं0–1791/33–2–2020–198जी/2018, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 में निर्दिष्ट दिशा–निर्देश के क्रम में प्रत्येक परियोजना की अलग–अलग निविदा शुल्क तथा 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि (EMD) को इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS के माध्यम से यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा–तेतरी बाजार में संचालित जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के जिलानिधि खाता सं0–752302010009542 (IFSC- UBIN0575232) में निविदा शुल्क की धनराशि एवं खाता सं0–752302010009544 (IFSC-UBIN0575232) में जमानत धनराशि जमा की जायेगी तथा इन्टरनेट बैंकिंग/NEFT/RTGS का प्रत्येक परियोजना की अलग–अलग प्राप्त ट्रान्जेक्शन नम्बर की स्कैन प्रतियां सम्बन्धित परियोजना के निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जायेगी एवं मूल प्रतियां निविदा खोलने की तिथि को अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। बिना धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य के प्रस्तुत की गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदा प्रथम दृष्टतया ही निरस्त कर दी जायेगी। जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत न्यूनतम ई–टेण्डरदाता से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि प्राप्त कर अनुबन्ध की कार्यवाही करने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
6. ढुलाई हेतु फर्म को अपना 05 वर्षों का बैलेंसशीट एवं फर्म का फार्म–26 ए0एस0–05 वर्षों का, की स्कैन प्रतियाँ निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड की जायेगी एवं मूल प्रतियां निविदा खोलने की तिथि को उपलब्ध करानी होगी। किसी भी फर्म द्वारा फर्जी एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
7. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई0ओ0सी0एल0) मथुरा से जिला पंचायत कार्यालय, सिद्धार्थनगर तक मैक्साफाल्ट (Bitumen) की ढुलाई के दौरान मैक्साफाल्ट के क्षतिग्रस्त, खोने एवं किसी भी तरह की दुर्घटना होने की परिस्थिति में सम्बन्धित मैक्साफाल्ट (Bitumen) की ढुलाईकर्ता व्यक्ति/फर्म/ट्रांसपोर्टर से हुये नुकसान की वसूली की जायेगी।
8. ई–टेण्डरिंग के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र, हैसीयत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर, श्रम विभाग में पंजीकरण व पैन कार्ड की स्कैन प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल अभिलेख टेण्डर खोलने की तिथि को कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
9. जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली के अनुसार निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
10. टेण्डर के समय 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. समय–समय पर यदि आवश्यक हुआ तो आदेश व सूचिका उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।
12. ढुलाई करने वाली फर्म को पैक्ड बिटमिन ड्रम (Packed Bitumen Drum/bulk) के ढुलाई का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रतियाँ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल अभिलेख टेण्डर खोलने की तिथि को कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।
13. शेष अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(मिठाईलाल)
अभियन्ता
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

(हरिओम नारायण चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी/प्रशासक
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।

पृ0सं0 1464(ii)/जि0पं0सि0नगर/2020–21 दिनांक– 23-03-2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को सादर सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. NIC, सिद्धार्थनगर।
5. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।
6. लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाईविभाग/मण्डी समिति/गन्ना विभाग, सिद्धार्थनगर।
7. दैनिक समाचार पत्र.. को इस अनुरोध के साथ अपने समाचार पत्र के एक दिन के स्थानीय अंक में उक्त ई–टेण्डर सूचना न्यूनतम साइज एवं दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।